देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/37 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 28 अक्तूबर 2020

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

यूं हो रहा नुकसान

राजस्थान पत्रिका

घुटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

ऐतिहासिक फैसला

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं

कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा तय करेगा

भाग-1

नगर निगम मुख्यालय के सामने कोर्नर प्लाट पर हो रहा निर्माण कार्य वैध है या अवैध?

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

	प्रथम सुचना रिपोर्ट	
1.	भूखंडो का पता	नगर निगम मुख्यालय के सामने,टोंक रोड जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	व्यवसायिक निर्माण
6.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना नक़्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन
7.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम मोती डूंगरी जोन
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	नगर निगम के राजेश यादव
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	28/10/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा विधिक रूप से इस भूखंड का व्यवसायिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन कौन से अधिकारी है?
7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस जे.डी.ए. की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके है और उन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना भी पड़ा कि जे.डी.ए. के अधिकारी ले-देकर पास-पास की ही एक बिल्डिंग को तो तोड़ देते है और एक को छोड़ देते है,क्या उनका यह सवाल जायज है?
8. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
9. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
10. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?